महत्वपूर्ण एवं खास

किसान अब 31 जुलाई तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा

रायपुर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई अब अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकेंगे। पूर्व में जारी निर्देश के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। राज्य में खरीफ 2022 के तहत धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) फसल का बीमा कृषक करा सकते है। अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो, योजना में सम्मिलित हो सकते है। इस योजना अंतर्गत प्रावधानित जोखिम बाधिक रोपाई, स्थानीय आपदाएं, फसल कटाई उपरांत होने वाली क्षति तथा फसलवार पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति अंतर्गत फसल क्षति हेतु दावा राशि का भुगतान प्रावधानानुसार किया जाता है। अधिसूचित फसल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु 31 जुलाई 2022 तक नजदीकी बैंक या लोक सेवा केन्द्रों या बीमा कंपनी अथवा ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर अपने फसल को बीमित करा सकते है।

फर्जी मुख्तयारनामा से बेच दी जमीन : तीन के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। कमल विहार स्थित जमीन का फर्जी मुख्तयारनामा तैयार कर दूसरे को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी निशांत कुमार गुप्ता 48 वर्ष ने थाने में शिकायत किया कि वह कमल विहार स्थित भूमि को खरीदने के लिए अरूण कुमार गुप्ता से 42 लाख रूपए देकर ईकरारनामा तैयार किया। जिसके बाद रजिस्ट्री के पहले अरूण कुमार गुप्ता का देहांत हो गया। जिसके बाद अरूण कुमार गुप्ता के पुत्री आस्था गुप्ता, पुत्र विनोद एवं रोहित ने फर्जी मुख्तयारनामा तैयार कर दूसरे को बेच रहे थे। जिससे प्रार्थी ने मना किया और जमीन का रजिस्ट्री करने को कहा तो आरोपियों ने धमकी दिया। जिसके बाद प्रार्थी ने इसकी शिकायत टिकरापारा थाने में की। मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

विशाखापटनम-किरंदूल यात्री ट्रेन अब दंतेवाड़ा तक जाएगी

जगदलपुर (आरएनएस)। नक्सलियों के 14 से 28 जुलाई तक अपने मारे गए साथियों की याद में एक पखवाड़ा तक सभाएं करने और 29 जुलाई से 04 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने की घोषणा को देखते हुए रेल प्रशासन ने एक बार फिर सुरक्षा की दृष्टिकोंण से जगदलपुर से किरंदुल के बीच यात्री रेल सेवा निरस्त कर दी गई थी। विशाखापटन-किरंदूल मार्ग में रेलवे ने सुरक्षा कारणों से यात्री ट्रेनों में नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर को जगदलपुर तक चलाने का फैसला लिया था, लेकिन अब इस आदेश में संशोधन करते हुए अब इसे दंतेवाड़ा तक चलाने का फैसला लिया है, दोनो ट्रेनें 04 अगस्त तक अब दंतेवाडा तक जायगी, लेकिन किरंदूल नही जायेगी। रेलवे के आदेश के बाद लोगों में रेलवे को लेकर नाराजगी थी। जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने इन यात्री ट्रेनों को जगदलपुर की जगह दंतेवाड़ा तक चलाने का फैसला लिया है।

दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से निकलेगी 18 को कावड़ यात्रा

जगदलपुर (आरएनएस)। विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंगदल द्वारा आयोजित कांवड यात्रा प्रथम सोमवार 18 जुलाई को दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से प्रात: 9 बजे शुरू किया जाएगा। कांवड यात्रा में 300-500 शिव भक्त कावडिय़ा शामिल होंगे। दंतेश्वरी मंदिर से निकाल कर महादेव घाट में जलपुजन के बाद यात्रा शुरू कर 25 किमी दूर स्थित देवड़ा झाड़ेश्वर महादेव मंदिर में पहुंच कर जलाभिषेक किया जाएगा। जलाभिषेक के पश्चात प्रसाद वितरण भी किया जाएगा।

44वें शतरंज ओलम्पियाड के ऐतिहासिक पल का साक्षी बना छत्तीसगढ़

- टॉर्च रिले अपने 61वें पड़ाव पर राजधानी रायपुर पहुंची
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से के साथ खेली शतरंज
- राजधानी रायपुर में शतरंज ओलम्पियाड टॉर्च का हुआ भव्य स्वागत
- छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक लिए बारहमासी नृत्य और मशाल गीत से हुआ टॉर्च रिले का स्वागत और सम्मान

रायपुर (आरएनएस)। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक पल का आज छत्तीसगढ़ साक्षी बना। भुवनेश्वर से होते हुए शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले अपने 61वें पड़ाव पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह टॉर्च रिले देश के 75 शहरों से होते हुए चेन्नई पहुंचेगी जहां ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद इसे प्राप्त करेंगे।

राजधानी रायपुर पहुंचते ही टॉर्च रिले का भव्य स्वागत किया गया। टॉर्च रिले माना विमानतल से शहर भ्रमण करते हुए सुबह 10.30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंची। टॉर्च रिले के पहुंचते ही ऑडिटोरियम परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम् के उद्घोष से गूंज उठा। यहां स्कूली बच्चों ने अलग-अलग देशों के झंडे लहराते हुए टॉर्च का जोरदार स्वागत किया। ऑडिटोरियम में आयोजित स्वागत समारोह में ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टॉर्च रिले सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से के साथ शतरंज खेलकर लोगों को इस बौद्धिक खेल को खेलने के लिए प्रेरित किया। ग्रैंड मास्टर थिप्से ने प्रदेश के प्रतिभाशाली शतरंज खिलाडिय़ों संग भी शतरंज खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया।

इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, महापौर रायपुर एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ ओलम्पिक संघ के महासचिव गुरूचरण सिंह वोरा, छत्तीसगढ़ शतरंज संघ के अध्यक्ष राघवेन्द्र सिंघानिया, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव नीलम नामदेव, संचालक श्रीमती श्वेता वास्तव सिन्हा और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे। टॉर्च रिले के स्वागत और सम्मान में कलाकारों द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बारहमासी नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य में सालभर मनाए जाने वाले तीज-त्यौहारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति की मनमोहक झलक दिखाई दी। इसके साथ ही मशाल गीत 'राष्ट्र हिन्दुस्तान के खिलाडिय़ों का सम्मान करें.......... चल रही है मशाल रैली, आओ इनका मान करें.......' पर कलाकारों ने अपने प्रस्तुति दी। गौरतलब है कि शतरंज ओलंपियाड के 95 साल के इतिहास में भारत को पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी मिली है। यह भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा। इस शतरंज ओलंपियाड में 188 देश शामिल होने की संभावना है। आजादी के 75 वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के 75 शहरों में 19 जून से 28 जुलाई तक शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले आयोजित की जा रही है। रायपुर से शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले हैदराबाद पहुंचेगी।

दहेज लोभियों को जेएमएफसी खरसिया न्यायालय में अर्थदंड और 6-6 माह की सजा

खरसिया। माननीय मंजूषा टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरसिया के न्यायालय में न्यायालय के अपराध प्रकरण क्रमांक 294/14 (थाना खरसिया के अपराध क्रमांक 179/14) में आरोपी बरातू राम, रवि कुमार, राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध आरोपित धारा 323/34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा – 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दोषी पाया गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण - ग्राम हाथीटिकरा निवासी राजेश पटेल पिता बरातू का विवाह खरसिया की युवती के साथ 02 मई 2014 को तय हुआ था। विवाह के दिन लालीभाजी कार्यक्रम के समय दहेज में दिए जाने वाले सामान को देखते हुए आरोपीगण दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रीज, टीवी, वाशिंग मशीन नहीं दे रहे हो कहते हुए वाद-विवाद करने लगे और धमकी देने लगे कि उपरोक्त सामान दोगे तभी शादी करेंगे। युवती के पिता दहेज सामान देने में असमर्थता दिखाये तो विवाद हुआ और आरोपीगण मारपीट पर उतारु होकर बिना शादी किए बारात वापस ले गए। थाना खरसिया में घटना की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया। जहां आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपियों को धारा 323/34 भा.दं.सं. में 1- 1 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 6 –6 माह का साधारण कारावास की सजा एवं 1- 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

लापता बालिका दस्तयाब, बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार

- बरमकेला पुलिस ने आरोपी को अपहरण व पोक्सो एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़ । एसपी अभिषेक मीणा तथा एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल द्वारा दिनांक 15.07.2022 को थाने में दर्ज 17 वर्षीय गुम बालिका के मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए तत्काल अपने मुखबिरों को सक्रिय कर सीमावर्ती चौकी कनकबीरा क्षेत्र से अपहत बालिका को आरोपी युवक के कब्जे से दस्तयाब कर बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को अपहरण व पोक्सो एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

बालिका के पिता द्वारा कल थाने में आकर उसकी 17 वर्षीय बालिका के दिनांक 14.07.2022 के सुबह से घर से निकलना और वापस नहीं आना बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया गया । थाना प्रभारी बरमकेला द्वारा धारा 363 IPC का अपराध अज्ञात आरोपी पर दर्ज कर बालिका के फोटो उनके परिजनों की सहमति पर व्हाटसअप ग्रुप में अपने स्टाफ तथा मुखबिर व पुलिस के सहयोगियों से शेयर कर गुम बालिका की सूचना देने कहा गया । देर रात मुखबिर द्वारा बालिका को चौकी कनकबीरा क्षेत्र में युवक देवेन्द्र गारूडी पिता राज कुमार गारूडी (19 साल) के साथ होने की जानकारी दिया गया। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा अपने स्टाफ के साथ संदेही के घर दबिश देकर बालिका को दस्तयाब कर थाना लाया गया। पूछताछ में बालिका युवक को उसके बगल गांव का रहने वाला बताई और युवक द्वारा प्रेम करना और शादी करने का प्रलोभन देकर भगा ले जाना बताई है, बालिका शारीरिक शोषण से इंकार किया गया है। प्रकरण में धारा 366 IPC, 12 Pocso Act जोड़कर आरोपी देवेन्द्र गारूडी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। सम्पूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी बरमकेला एल.पी. पटेल, प्रधान आरक्षक एडमोन खेस, आरक्षक चित्रसेन देवांगन सूरज सिदार, महिला आरक्षक अंजना मिंज की अहम भूमिका रही है।

गाड़ियों से डीजल व बैटरी चोरी करने वाले वाले गिरोह के एक आरोपी को तमनार पुलिस ने किया गिरफ्तार

- आरोपी से चोरी की दो बैटरी जब्त

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन तथा एएसपी लखन पटले एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर तमनार पुलिस द्वारा सड़क किनारे खड़ी वाहनों से बैटरी, डीजल की चोरी करने वाले गिरोह के एक आरोपी ईश्वर राठिया को 2 Exide Express बैटरी के साथ गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया, आरोपी के साथी गांव से फरार है, जिनकी सूचना देने थाना प्रभारी तमनार उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे द्वारा क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 12.07.2022 को रिपोर्टकर्ता पवन चौरसिया पिता अनिल चौरसिया उम्र 20 वर्ष सा. आजाद चौक किरोडीमल नगर रायगढ हा.मु. झिंकाबहाल तिरूपति कैम्प तमनार आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी तिरूपति रोड कैरियर में सुपरवाईजर है। दिनांक 11.07.2022 के रात्रि 12.00 बजे डम्फर क्रमांक CG13-AR-6285 का ड्राईवर डाला टूट जाने से झिंकाबहाल तालाब पास कैम्प के बाहर रोड में खड़ी थी। सुबह पता चला कि गाडी में लगे 02 नग नये एक्साइड बैटरी और डीजल टंकी में भरे डीजल करीबन 150 लीटर जुमला किमती 30,000 रूपये को रात में कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है , रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। क्षेत्र में पुन: खड़ी वाहनों से डीजल/बैटरी चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी तमनार उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे द्वारा अपने थाने के विवेचकों एवं मुखबिरों को अज्ञात चोरों के संबंध में क्षेत्र से जानकारी जुटाने निर्देशित किये। आज दिनांक 16.07.2022 को मुखबिर द्वारा ग्राम टिहलीरामपुर के ईश्वर राठिया को उसके साथियों के साथ रात में संदिग्ध घूमना बताया, जिस पर संदेही के घर जाकर दबिश दिया गया। आरोपी पूछताछ में डम्फर से अपने साथी के साथ बैटरी, डीजल चोरी करना स्वीकार किया है, जिससे 2 नग बैटरी की जप्ती कर आरोपी ईश्वर राठिया पिता अमृत राठिया उम्र 22 वर्ष सा. टिहलीरामपुर, थाना तमनार को अप. क्रमांक 252/2022 धारा 379,34 भादंवि में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, फरार आरोपी की पता तलाश किया जा रहा है। कार्रवाई में थाना प्रभारी तमनार उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे, सहायक उप निरीक्षक रमेश बेहरा, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, पारसमणी बेहरा, आरक्षक भूपेश राठिया, कमलेश राठिया की अहम भूमिका रही है।

चोरी की 60 लीटर डीजल के साथ आरोपी गिरफ्तार, सरिया पुलिस ने भेजा रिमांड पर

रायगढ़। थाना सरिया में ग्राम मौहापाली में रहने वाले कान्हु पटेल (उम्र 38 वर्ष) ने दिनांक 15.07.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13/07/22 को इसके घर के सामने खड़ी इसकी जेसीबी क्रमांक CG13-L-8219 से रात्रि करीब 11-12 बजे के आसपास गांव का संतोष चौहान JCB के डीजल टंकी से पाईप डालकर डीजल खींच कर करीब 60 लीटर डीजल चोरी कर ले गया है। आरोपी पर धारा 379 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक के.के. पटेल के निर्देशन पर थाने से स्टाफ आरोपी के घर जाकर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी संतोष चौहान डीजल को अवैध बिक्री के लिये चोरी कर घर में रखना बतायास्वीकार किया जिससे 60 लीटर डीजल कीमत 6,000 का जप्त कर आरोपी संतोष चौहान पिता राम लाल चौहान साकिन चाटीपाली हा0मु0 मौहापाली को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

अभिनव विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों ने की थाना पुसौर का भ्रमण, जानी पुलिस की कार्य प्रणाली

रायगढ़। अभिनव विद्या मंदिर स्कूल के छात्र-छात्राएं पुसौर थाना पहुंचकर पुलिस की सामान्य कार्य प्रणाली जाने। थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव स्कूली बच्चों को थाना मोर्हरिर, दिवस अधिकारी और थाने में उपस्थित स्टाफ के कार्यो को संक्षिप्त जानकारी दिया गया। बच्चों को थाने का मालखाना, हवालात तथा आर्म्स रूम दिखाया गया तथा वर्तमान में पुलिस द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हथियारों की जानकारी दिया गया।

थाना परिसर में थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा छात्र-छात्राओं को गुड टच -बैड टच, मानव तस्करी, पास्को एक्ट से संबंधित विषयों की जानकारी देकर मोबाइल गेम के दुरूपयोग बताया गया तथा कभी भी पुलिस सहायता पर डॉयल 112 को कॉल कर सहायता लेना बताये। भ्रमण दौरान बच्चे काफी प्रसन्न दिखे जिनमें थाना प्रभारी द्वारा चॉकलेट का वितरण किया गया।

कर्मचारी कल्याण समिति ने लिखा केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र

- महंगाई राहत में सहमति की बाध्यता हटाई जाए

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर्स महासंघ ने रमेश शर्मा प्रति आभार जताया। मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के समस्याओं समझने और सुलझाने एवं निदान को लेकर मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति का गठन किया है जिसके चेयरमैन का दायित्व पुराने कर्मचारी नेता रमेशचंद्र शर्मा को सौंपा है उसे राज्यमंत्री का दर्जा देकर कर्मचारी और पेंशनर्स हितैषी कार्य सम्पादित करने की जवाबदारी दिया है।

पेंशनरों को केन्द्र के समान महंगाई राहत देने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के बेरुखी से परेशान होकर अब मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार को पत्राचार कर समस्या को सुलझाने की ओर कदम उठाए हैं और इसे लेकर रमेश चंद्र शर्मा ने 11 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से अमित शाह को मध्यप्रदेश शासन की ओर पत्र भेजकर 22 वर्षो से रोड़ा बनी मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत दोनों राज्यों के पेंशनरों को महंगाई राहत की राशि भुगतान करने में दोनों राज्य सरकारों की सहमति की अनिवार्यता को निरस्त करने का आग्रह किया है।

केंद्रीय गृहमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49 छटवीं अनुसूची के प्रावधानों में महंगाई राहत देने हेतु पारस्परिक सहमति लेने का उल्लेख नहीं है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी 13 नवम्बर 2017 के पत्र का हवाला देकर बताया है कि उसमें उल्लेख किया गया है कि पेंशन दायित्व के लिये उत्तरवर्ती राज्यो पारस्परिक सहमति की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को सातवें वेतन मान के तहत 31त्न प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जा रहा है परन्तु मध्यप्रदेश के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सहमति नहीं देने के कारण पेन्शनरो को केवल 17त्न महंगाई राहत ही मिल रहा है। इसलिए उन्होंने अपने पत्र में केंद्रीय गृहमंत्री से दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की बाध्यता को निरस्त करने की मांग की है।

ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश शासन ने छत्तीसगढ़ शासन को 21 मार्च 22 और 26 मई 22 को प्रस्ताव भेजकर पेंशनरों को कर्मचारियों के बराबर 31त्नप्रतिशत महंगाई राहत देने हेतु सहमति मांगा है, परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार जानबूझकर इस प्रस्ताव को लटकाकर दोनों राज्य के पेंशनर्स के साथ घोर अन्याय कर रही हैं। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने दी है।

जारी विज्ञप्ति में मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा के द्वारा पेंशनरों के हित मे किये जा रहे सकारात्मक कार्यवाही का स्वागत कर उनके प्रति छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन ने आभार जताया है। छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से जुड़े पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, पेन्शनर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान, प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के जयप्रकाश मिश्रा एवं पेन्शनर समाज से ओ पी भट्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मध्यप्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर तुरन्त सहमति देने का मांग किया है। सहमति नहीं देने पर आगामी 25 जुलाई को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने उनके निवास पर सामुहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480